सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–4

निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या: 57 / XXX(2)/2021-30(12)/2020
देहरादून: दिनांक: 16 फरवरी, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2021 को राज्याधीन सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के रोस्टर एवं अधियाचन के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक में निम्नवत् समिति (टास्क फोर्स) गठित किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं :–

1. श्री आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष
2. श्रीमती सौजन्या, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
3. श्री नीरज खैरवाल, सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन – सदस्य

2– उक्तवत् गठित समिति (टास्क फोर्स) से शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में संचालित ऐसे विद्यालयों जिनमें छात्र–छात्राओं की संख्या अत्यन्त न्यून है अथवा शून्य है को निकटतम विद्यालयों में मर्ज करने एवं ऐसे विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की पढ़ाई बाधित न हो के दृष्टिगत निकटतम विद्यालय तक पहुँचाने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा विद्यालय भवनों को अन्य विभागों के उपयोग में लाये जाने हेतु प्रस्ताव / संस्तुति अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को संदर्भित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: (1)/XXX(2)/2021-30(12)2020 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य निजी सचिव, मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
4. श्री आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्रीमती सौजन्या, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री नीरज खैरवाल, सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

अतिशीघ्र/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या- 910 /XXIV-B-1/2021-25(05)/2017 टी0सी0-1

प्रेषक,

शिव विभूति रंजन,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 24 फ़रवरी, 2021

विषयः- शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालयों जिनमें छात्र-छात्राओं की संख्या अत्यंत न्यून है अथवा शून्य है को निकटतम विद्यालयों में मर्ज करने, छात्र-छात्राओं हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा विद्यालयों भवनों को अन्य विभागों के उपयोग में लाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-57, दिनांक 16.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित त्रिदस्यीय समिति से शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में संचालित ऐसे विद्यालयों जिनमें छात्र-छात्राओं की संख्या अत्यंत न्यून है अथवा शून्य है को निकटतम विद्यालयों में मर्ज करने एवं ऐसे विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित न हो के दृष्टिगत निकटतम विद्यालय तक पहुंचाने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा विद्यालयों भवनों को अन्य विभागों के उपयोग में लाये जाने हेतु प्रस्ताव/संस्तुति अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को संदर्भित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतः इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के उक्त वर्णित पत्र संख्या-57, दिनांक 16.02.2021 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है प्रकरण अपने मंतव्य सहित उक्तानुसार अपेक्षित सुस्पष्ट प्रस्ताव/आख्या यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।**

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(शिव विभूति रंजन)
अनु सचिव।

संख्याः–641 / 15/XXIV–A-2/2020

1028
23-12-20

उप निदेशक (निर्माण)

23/12/2020

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2020

विषयः– समग्र शिक्षा (प्रारम्भिक) के अंतर्गत निर्माण कार्यो के मॉडल आगंणनों (Model Estimate) को अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या रा0प0नि0/1961/CW-SoR (19)/2019–20 दिनांक 20 फरवरी, 2020, 30 जुलाई 2020 तथा दिनांक 13 अक्टूबर 2020, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समग्र शिक्षा (प्रारम्भिक) के अंतर्गत किये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों के निम्नानुसार मॉडल आंगणनों के तकनीकी परीक्षण के उपरान्त मैदानी एवं पर्वतीय–क्षेत्र मॉडल आंगणन एवं उनकी औचित्यपूर्ण लागत को निम्नवत् निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	Plain कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा प्रेषित आगणन की धनराशि (लाख रू में)	औचित्यपूर्ण धनराशि (लाख रू में)		
			S.I	N.S.I	कुल
1	Primary School Building	18.90	18.66	0.08	18.74
2	Upper Primary School Building	20.80	20.49	0.10	20.59
3	Additional Classroom	7.48	7.47	—	7.47
4	Headmaster Room/ CRC Room	8.31	9.11	—	9.11
5	Kitchen cum Store Type-1	3.20	2.64	—	2.64
6	Kitchen cum Store Type-2	4.47	4.35	—	4.35
7	Toilet Block	3.22	3.22	—	3.22
8	CWSN Toilet	2.56	2.50	—	2.50
9	Boundary Wall Per running meter	0.056	0.042	—	0.042
10	Electrification PS Building	0.34	0.28	0.06	0.34
11	Electrification UPS Building	0.49	0.39	0.10	0.49

Hill

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था / प्र०वि० द्वारा प्रेषित आगणन की धनराशि (लाख रू में)	औचित्यपूर्ण धनराशि (लाख रू में)		
			S.I	N.S.I	कुल
1	Primary School Building	21.59	21.29	0.07	21.36
2	Upper Primary School Building	29.21	28.85	0.10	28.95
3	Addition Classroom	9.01	9.00	—	9.00
4	Headmaster Room/ CRC Room	11.40	11.17	—	11.17
5	Kitchen cum Store Type-1	3.80	3.77	—	3.77
6	Kitchen cum Store Type-2	5.14	5.09	—	5.09
7	Toilet Block	4.40	3.95	—	3.95
8	CWSN Toilet	2.98	2.91	—	2.91
9	Boundary Wall Per running meter	0.069	0.052	—	0.052
10	Retaining Wall Per running meter	0.072	0.072	—	0.072
11	Electrification PS Building	0.41	0.33	0.06	0.39
12	Electrification UPS Building	0.58	0.46	0.10	0.56

(1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों को ध्यान मे रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(4) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(5) विस्तृत आगणन में प्रावधानित डिजायन एवं मात्राओं आदि हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप उत्तरदायी होगें।

(6) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप प्राप्त कर ली जाए।

(7) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशो का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करे।

(8) आगणन गठित करते समय तथा कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व Uttarakhand procurement Rules, 2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) भवनों का निर्माण National Building Code के नवीनतम गाइड लाइन के अनुसार कराया जाय।

(10) भूकम्परोधी भवनों की संरचना हेतु समस्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) यथा आवश्यक मृदा परीक्षण कर उसके आधार पर फाउण्डेशन डिजायन करते हुए निर्माण कराया जाय।

(12) क्लास रूम में मानकानुसार Ventilation एवं आवागमन व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(13) भवनों को सुरक्षित स्थल पर निर्माण कराया जाय तथा आपदा संभावित स्थल पर स्कूल भवनों का निर्माण नहीं कराया जाय।

(14) Electrification के कार्यो में Electrical Safety के मानकों का पूर्ण पालन किया जाय।

(15) मैदानी क्षेत्र एवं पर्वतीय क्षेत्र के क्रमशः क्रमांक–01 एवं 02 पर अंकित प्राक्कलनों के निर्माण कार्यो की संशोधित ड्राइंग में अपेक्षित संशोधन कर लिया जाय।

2– निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त मॉडल आंगणन टी0ए0सी0, नियोजन द्वारा तकनीकी परीक्षण एवं अनुमोदन के फलस्वरूप मूलरूप में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किये जा रहे हैं।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या 641 /XXIV- A-2/2020 -15/2020 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :
1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. गार्ड फाईल।

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

संख्याः /8 /XXVI/छ(2)/2019

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 18 जनवरी, 2021

विषय- शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-504/XXVI/छ(2)/2009, दिनांक 13 मार्च, 2009, सं0-33/XXVI/छ(2)/2009, दिनांक 06 दिसम्बर, 2010, सं0-09/XXVI/छ(2)/2009, दिनांक 11 फरवरी, 2010, सं0-207/XXVI/छ(2)/2009, दिनांक 24 अप्रैल, 2012, सं0-656/XXVI/छ(2)/2009, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012, सं0-32/XXVI/छ(2)/2009 टी0सी0, दिनांक 24 जनवरी, 2014, शासनादेश सं0-441/XXVI/छ(2)/2009, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014, सं0-243/XXVI/छ(2)/2009, दिनांक 23 सितम्बर, 2016, सं0-388/XXVI/छ(2)/2009 भाग-1 टी0सी0, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016, सं0-123/XXVI/छ(2)/2009 भाग-1 टी0सी0, दिनांक 31 मई, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न शासकीय निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण एवं मानकों के सबध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत उपरोक्त शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था में निम्न संशोधन करने का निर्णय लिया गया है-

(1) राज्य में कार्यदायी संस्था के रूप में सूचीबद्ध रही निम्नलिखित कार्यदायी संस्थाओं को राज्य की कार्यदायी संस्था की सूची से हटाया जाता है-

(क) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम।
(ख) उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम (परिवर्तित नाम-यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरसान लि0)।

(2) निम्नलिखित कार्यदायी संस्थाओं को यदि राज्य में किसी भी प्रकार का कार्य आवंटित किया जायेगा तो प्रस्ताव पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनिवार्य रूप से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा-

(क) भारतीय संचार निगम लि0 (बी0एस0एन0एल0)।
(ख) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (एच0एस0सी0एल0)।
(ग) उत्तर प्रदेश जल निगम सी0 एण्ड डी0एस0।

(3) निम्नलिखित कार्यदायी संस्थाओं से [illegible] कार्यों के [illegible] हेतु [illegible] लागत के [illegible] की [illegible] प्रदान की जाती है:-

(क) गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड (GMVN)
(ख) कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड (KMVN)
(ग) जी०बी०पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर
(घ) [illegible]।

(4) [illegible] विभाग के निर्माण कार्यों के [illegible] "उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड" को शासनादेश संख्या [illegible]/XXVI/14(02)/2017 दिनांक 06.11.2017 के [illegible] कार्यों हेतु [illegible] किया गया है [illegible]।

(5) [illegible] निर्धारित [illegible] करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों की [illegible] लागत तक के निर्माण कार्य [illegible] अनुमति प्रदान की जाती है।

(6) उक्त निर्णय [illegible] प्रभाव से [illegible]।

(7) उक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश [illegible] प्राविधान यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

पृ०सं० /2 (1)/XXVI/14(02)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
5. महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०, [illegible] 34, नेहरू कॉलोनी रोड, नेहरू कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, मुख्यालय विश्वेश्वरैया भवन, गोमतीनगर, विभूति खण्ड, लखनऊ-226010
8. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि० 74/1, राजपुर रोड, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूं मण्डल विकास निगम लि०, ओक पार्क हाउस, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम (परिवर्तित नाम-यू०पी० स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०) के उत्तराखण्ड में

संख्या– 323 /XXVII(7)/19–50(07)/2019

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त (वि0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 6 सितम्बर, 2019

विषय–छोटे कार्यों (पैटी वर्क्स) लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) तथा वृहद् कार्य (मेजर वर्क्स) की वित्तीय सीमा में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–89/XXVII (1) कार्य/2005 दिनांक 24 फरवरी 2005 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इमारती सामान, मजदूरी, निर्माण सामग्री आदि के मूल्यों में हुई वृद्धि के दृष्टिगत छोटे कार्यों (पैटी वर्क्स), लघु कार्य (माइनर वर्क्स) तथा वृहत कार्यों (मेजर वर्क्स) की वर्तमान सीमा को निम्नानुसार पुनरीक्षित/परिवर्धित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र.स.	कार्य की प्रकृति	वित्तीय सीमाएँ
1	2	3
1	छोटे कार्य (पैटी वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 5.00 लाख से अधिक न हो।
2	लघु कार्य (माइनर वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 5.00 लाख से अधिक किन्तु रू0 20.00 लाख से अधिक न हो।
3	वृहत कार्य (मेजर वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 20.00 लाख से अधिक हो।

2. रू0 5.00 लाख से ऊपर तथा रू0 20.00 लाख तक की लागत के लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) का निष्पादन उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराये जायेंगे।

3. वृहद निर्माण कार्य (मेजर वर्क्स) के आगणन सुसंगत दरों पर गठित कर यथानियम, यथाप्रक्रिया सक्षम स्तर की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

4. छोटे कार्य (पैटी वर्क्स) व लघु कार्य (माइनर वर्क्स) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), 2018 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा बजटीय सीमा के अधीन रहते हुए वित्तीय नियमों का पालन करते हुये सम्पन्न किये जायेंगे।

5. वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 तथा खण्ड–6 के सुसंगत नियमों में तदानुसार संशोधन यथासमय कर लिया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: 393 (1)/XXVII(7) 19-50(07)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, वित्तीय लेखा / कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. निदेशक, ऑडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
5. उत्तराखण्ड शासन के समस्त अनुभाग।
6. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, [illegible]
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

2999
06/02/21

महत्वपूर्ण

संख्या– /687/मार्ग0सि0/रा0यो0आ0/2021

प्रेषक

अपर मुख्य सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेष्य,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य योजना आयोग देहरादून दिनांक 05, फरवरी, 2021

विषय :– विभिन्न प्रशासकीय विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन में टी0ए0सी0/ई0एफ0सी0 हेतु प्रेषित योजनाओं के गठन/परीक्षण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

वर्तमान में नियोजन विभाग में परीक्षण हेतु प्राप्त आगणनों के परीक्षण के दौरान कई कमियाँ दृष्टिगोचर होने के कारण कार्य निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब/बाधा उत्पन्न हो रही है। आगणनों के समुचित व सुस्पष्ट गठन तथा सुगम व समयबद्ध परीक्षण हेतु प्रशासकीय विभागों/कार्यदायी संस्थाओं को निम्नवत् दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं:–

1. टी0ए0सी0 विषयक पूर्व निर्गत शा0सं0 50/xxvii(7)/2012 देहरादून, दि0 12.04.2012 तथा 359/XVII(1)/2015 दि0 23/03/2015 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. ई0एफ0सी0 विषयक पूर्व निर्गत शा0सं0 474/02(150)/XXVII(1)/2019 दि0 01.08.2019 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. मार्ग कार्यों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य का लीनियर चार्ट संलग्न किया जाये, जिसमें मार्ग की ROW सहित पूर्व में कराये गये कार्यों का सभी विवरण अंकित हो, यदि इस पर कोई कार्य चल रहा हो तो उसका विवरण अंकित किया जाये, जिससे कार्यों में Duplicacy न हो।
4. विस्तृत आगणन गठित करने से पूर्व प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में विस्तृत आगणन गठित किये जाने पर योजना के Time over run/ Cost over run होने की प्रबल सम्भावना है तथा अनावश्यक रूप से परियोजना के पुनरीक्षित किये जाने की सम्भावना रहती है।
5. भवन कार्यों के साथ साइट प्लान जिसमें सभी कार्य चिन्हित किये गये हों संलग्न किया जाये तथा विस्तृत आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यों की समस्त ड्राईंग व डिजाइन भी संलग्न की जाये।
6. भवन कार्यों में भवन की श्रेणी के अनुसार ही मानक विशिष्टियों का प्राविधान किया जाय तथा प्राविधानों/विशिष्टियों का विस्तृत उल्लेख प्रतिवेदन में किया जाये।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

7. भवन अथवा किसी संरचना की मरम्मत हेतु प्रेषित किये जाने वाले आगणन में संरचना के फोटो ग्राफ्स व विगत 5 वर्षों में उस संरचना के अनुरक्षण का विवरण संलग्न किया जाये।
8. प्रारम्भिक/विस्तृत/पुनरीक्षित आगणनों को प्रेषित करने से पूर्व विभागीय स्तर पर समुचित रूप से परीक्षण/सत्यापन किया जाये।
9. ऐसे कार्य जिनको मात्रा व दरों को अनुमान के आधार पर आगणन में सम्मिलित किया जा रहा है, का परीक्षण/सत्यापन संबन्धित विभाग, जिनको तत्संबधी कार्य का अनुभव हो, के सक्षम अधिकारी से कराया जाये तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये। प्राविधानित मद व मात्रा का औचित्य व विवरण अवश्य संलग्न किया जाये तथा तद्उपरान्त ही उक्त मदों को आगणन में तदनुसार गणना की गई औचित्यपूर्ण मात्रा सहित सम्मिलित किया जाये।
10. Non Schedule Items के सत्यापन हेतु नियमानुसार अधिप्राप्ति नियमावली की प्रक्रिया अपनाते हुए अधिकृत डीलर/फर्म के कोटेशन अथवा Gem पोर्टल का विवरण संलग्न किया जाये। अधिकृत डीलर के कोटेशन में तत्संबधी अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, नाम व पदनाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। प्राप्त कोटेशन, संबधित प्र0वि0/कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा Market Survey के आधार पर एकत्र किये जाने के पश्चात् हस्ताक्षरित किये जायें तथा उससे उच्चतर अधिकारी द्वारा दरों के सत्यापन पश्चात् ही आगणन में संलग्न किये जायें। प्रत्येक N.S.I. मद के न्यूनतम तीन कोटेशन उपरोक्तानुसार, सत्यापित व हस्ताक्षरित किये जाने के पश्चात् तुलनात्मक विवरण गठित कर सक्षम अधिकारी से न्यूनतम दरें अनुमोदित किये जाने के पश्चात्, उक्त तुलनात्मक विवरण तथा कोटेशन को आगणन में Binded Form में संलग्न किया जाये।
11. कोटेशन में लिये जाने वाली मद की पूर्ण विशिष्टियों (Specification) व Configuration का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
12. अधिकृत डीलर/फर्म के कोटेशन में यदि कई मदें सम्मिलित हैं तथा एक से अधिक पृष्ठ तक विस्तारित हो रही हैं, तो प्रत्येक पृष्ठ फर्म/डीलर के लैडर हेड पर ही होना आवश्यक है तथा Covering Letter के साथ ही प्राप्त व संलग्न किया जाये।
13. प्रत्येक आगणन समुचित प्रकार से Binding एवं Paging करने के उपरान्त ही प्रस्तुत/प्रेषित किया जाये तथा किसी भी स्थिति में खुले (Loose) पृष्ठ, आगणन का भाग न हों। प्रत्येक आगणन में Index, सन्दर्भ (Reference) तथा विस्तृत प्रतिवेदन (Report) अवश्य सम्मिलित हो तथा प्रतिवेदन में कार्य का संक्षिप्त सन्दर्भ, मदवार कार्य विवरण, विशिष्टियाँ, कार्य सम्पादन हेतु निर्माण सामग्री एवं मशीनरी के नियोजन का उल्लेख आवश्यक है। आवश्यकता, प्राविधान, दरें तथा अन्य विवरण आवश्यक रूप से अंकित हो।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

14. सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य बनाये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के शा0सं0 85/XVIII-A-3/2020-10(01)/वि0क0/2019 दि0 16/06/2020 में उल्लेखित गाईड लाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संबन्धित प्रयोक्ता विभागों/कार्यदायी संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि विभिन्न कार्यों के आगणन गठन हेतु उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली भांति अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि भविष्य में सुसंगत आगणन/प्रस्ताव शासन को परीक्षण हेतु प्राप्त हो सकें।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 152 /687/मार्ग0सि0/रा0यो0आ0/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अधिशासी अभियन्ता, टी०ए०सी० नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)
उत्तराखण्ड।

पत्रांक: नियोजन(04–3)/ 1450 / निर्माण–15/2020–21, दिनांक : 12 फरवरी, 2021

विषयः– छोटे कार्यों (पेटी वर्क्स), लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) तथा वृहद कार्य (मेजर वर्क्स) की लागत सीमा में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, निदेशालय के पृथक–पृथक पत्रों द्वारा विद्यालयों के वृहद मरम्मत कार्य एवं विद्यालयों के पुनर्निर्माण किये जाने हेतु निर्धारित राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से आंगणन गठित कर निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु कतिपय जनपदों द्वारा विद्यालयों के वृहद मरम्मत कार्य एवं विद्यालयों के पुनर्निर्माण के आंगणन बिना टी0ए0सी0 के निर्धारित कार्यदायी संस्थाओं के इतर अन्य एजेन्सियों के माध्यम से गठित आंगणन प्रेषित किये जा रहे है, जिससे कार्यों में अनावश्यक विलम्ब होता है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 323/XXVII/(7)/19-50(07)/2019 दिनांक 20 सितम्बर, 2019 द्वारा छोटे कार्यों (पेटी वर्क्स), लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) तथा वृहद कार्य (मेजर वर्क्स) की लागत सीमा में वृद्धि किये जाने के निम्नानुसार निर्देश हैं–

क्र0सं0	कार्य की प्रकृति	वित्तीय सीमाऐं
1.	छोटे कार्यों (पेटी वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 5.00 लाख से अधिक न हो।
2.	लघु कार्यों (माइनर वर्क्स)	जिनकी लागत 5.00 लाख से अधिक किन्तु रू0 20.00 लाख से अधिक न हो।
3.	वृहद कार्य (मेजर वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 20.00 लाख से अधिक हो।

3. रू0 5.00 लाख से ऊपर तथा रू0 20.00 लाख तक की लागत के लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) का निष्पादन उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा।

4. शासनादेश संख्या 18/XXVI/(1)छः(2)/2019 दिनांक 28 जनवरी, 2021 के द्वारा शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण किया गया है। कृपया तद्नुसार निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही की जाय।

अतः उक्त शासनादेशों की छायाप्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में विद्यालयों के मरम्मत/निर्माण के आंगणन शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(वी0एस0 रावत)
अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

E-mail

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)
उत्तराखण्ड।

पत्रांक: नियोजन(04–3)/ 1631० / निर्माण–15/2020–21, दिनांक : 27 फरवरी, 2021

विषयः– विभिन्न प्रशासकीय विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन में टी0ए0सी0/ई0एफ0सी0 हेतु प्रेषित योजनाओं के गठन/परीक्षण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या 152/687/ मार्ग0सि0/रा0यो0आ0/2020–21 दिनांक 04 फरवरी, 2021 के द्वारा विभिन्न प्रशासकीय विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन में टी0ए0सी0/ई0एफ0सी0 हेतु प्रेषित योजनाओं के गठन/परीक्षण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः उक्त शासनादेश की छायाप्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि विभिन्न कार्यों के आंगणन गठन हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का भली–भांति अनुपालन करते हुए सुसंगत आंगणन/प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(वी0एस0 रावत)
अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक :

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड, पेयजल संसाधन
विकास एवं निर्माण निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक : लेखा–स्था0/17978-81/भवन–निर्माण/2020–21 दिनांक : 23 मार्च, 2021

विषय : **प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्माणाधीन भवन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सख्या –1106/XXIV(01)/2016-03/2012 टी0सी0 दिनांक 22 नवम्बर, 2016 द्वारा अनुमोदित धनराशि ₹1025.99 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के द्वारा अवमुक्त धनराशि 990.00 लाख कार्यदायी संस्था को भुगतान की जा चुकी है, शासन द्वारा अवमुक्त अवशेष धनराशि ₹35.99 लाख वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं स्वीकृत बजट व्ययगत (लैप्स) न हो निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्यदायी संस्था को भुगतान की जा रही है।

1. निर्माण कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जिनती मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न हो, मदवार जिनती धनराशि प्राविधानित है उतना ही उस पर व्यय किया जाये।
2. निर्माण कार्य तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं शासन/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
3. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं सामग्री/भौतिक रुप से संख्यात्मक/मात्राओं के लिए कार्यदायी संस्था पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगी।
4. कार्यदायी संस्था शेष रह गये कार्यों की प्रगति से विभाग को समय–समय पर अवगत करायेगी तथा विभाग द्वारा गठित निर्माण समिति जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी हैं, के द्वारा निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति/अनुश्रवण करने पर दृष्टिगत इंगित कमियों का कार्यदायी संस्था द्वारा समय से समाधान/पूर्ण कराया जायेगा।
5. शासन/विभाग द्वारा समय–समय पर निर्माण कार्य की प्रगति समीक्षा के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठकों में निर्देशित बिन्दुओं का परिपालन किया जाये, विस्तृत आगणन में प्राविधानित नाले/ड्रेनेज सिस्टम का कार्य पूर्ण किया जाये।

क्रमशः.....

6. भवन में प्रयुक्त विद्युत संयत्रो/उपकरणों, जनरेटर, फर्नीचर, साज–सज्जा वाली सामग्री विशिष्टताओं/गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए इस हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली यथा संशोधित 2017 में निहित व्यवस्थाओं का अनुपालन किया जाये।
7. पानी की उपलब्धता हेतु ट्यूबैल निर्धारित मानकों के अनुरुप निर्मित किया जाना आवश्यक है जिससे पीने योग्य पानी एवं शौचालय में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का विधिवत संयोजन किया जाये।
8. मुख्य भवन के पृष्ठ भाग में पुराने नाले में जगह–जगह बने गड्ढों को निर्माण समिति के निरीक्षण के दौरान इंगित संलग्न आख्या का भी समाधान/कमियों को पूर्ण किया जाये।
9. नव निर्मित भवन के भूतल की खिडकियों में वार्तानुसार कांच के फ्रेम एवं अन्य सुरक्षा की दृष्टि से लोहे की ग्रिल लगायी जाये जिससे कक्षों में स्थापित कीमती सामग्री सुरक्षित रह सके।

अतः उक्त बिन्दुओं एवं MOU में निर्धारित शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य/नवनिर्मित भवन में स्थापित/उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, विशिष्टताओं का पूर्ण ध्यान रखा जाये यदि निर्माण कार्य एवं सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमियां दृष्टिगत होती हैं तो इसके लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून का होगा।

भवदीय,

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/लेखा–स्था0/17978-81/भवन–निर्माण/2020–21 दिनांक उक्ततिथि।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय गार्ड फाईल।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

कार्यालयः–प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा–स्था0 / 662 /भवन निर्माण / 2020–21 दिनांकः 23 मार्च, 2021

कार्यवृत्त

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के निर्माणाधीन भवन की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 18 मार्च, 2021 को निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा की अध्यक्षता में आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे : –

1. श्री वी.एस.रावत, अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
2. श्री सुभाष चन्द्र भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
3. श्री आर0पी0 डंडरियाल, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. श्री मेहरवान सिंह विष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. श्री राजेन्द्र सिंह पुण्डीर, वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. श्री शिव मोहन रावत, अधिशासी अभियन्ता, समग्र शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।
7. श्री गिरीश चन्द्र पंत, सहायक अभियन्ता, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड।
8. श्री शशी प्रसाद गैरोला, अपर सहा.अभियन्ता, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,उत्तराखण्ड
9. श्री चमनलाल सहायक अभियन्ता, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड।
10. श्री राजेश रतूडी, अपर सहायक अभियन्ता, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,उत्तराखण्ड।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गयेः–

बैठक में शासनादेश संख्या–1106 दिनांक 22 नवंबर 2016 द्वारा रू0 1025.99 लाख अनुमोदित / धनराशि अवमुक्त की गयी है, के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को बैठक की तिथि तक रू0 990.00 लाख आहरित / भुगतान की गयी है, अवशेष धनराशि रू0 35.99 लाख के लिए बैठक में हुए विचार–विमर्श के फलस्वरूप कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून को निम्नलिखित शर्तो के अधीन आहरण / भुगतान पर सहमति बनी।

1. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय न किया जाय। मदवार प्रावधानित धनराशि का व्यय उसी मद में किया जाय।
2. निर्माण कार्य तकनीकी दृष्टि एवं गुणवत्ता को मध्यनजर रखते हुए शासन / विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टिओं के अनुरूप ही सामग्री प्रयोग में लायी जाये।
3. विस्तृत आगणन में प्रविधानित डिजायन एवं सामग्री / भौतिक रूप से संख्यात्मक / मात्राओं के लिए कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत लिफ्ट एवं साज सज्जा, फर्नीचर / विद्युत / ट्यूबैल, जनरेटर से सम्बन्धित सामग्री को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधित) 2017 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सामग्री की गुणवत्ता / विशिष्टिताओं का ध्यान रखा जाय।

क्रमशः पृष्ठ–2

4. निदेशालय स्तर पर गठित भवन निर्माण समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या में इंगित कमियों के बारे में कार्यदायी संस्था को अवगत कराया गया, का समाधान एवं मुख्य भवन के पृष्ठ भाग में बने पुराने नाले में जगह–जगह बने गड्ढों/कमियों को पूर्ण किया जाये।
5. निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाये जिससे समयान्तर्गत भवन विभाग को अधिग्रहण हो सके।
6. भवन में प्रयुक्त विद्युत संयत्रो/उपकरणों, जनरेटर, फर्नीचर, साज–सज्जा वाली सामग्री विशिष्टताओं/गुणवत्ता युक्त होनी चाहिये। इस हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली यथा संशोधित 2017 में निहित व्यवस्थाओं का अनुपालन किया जाये।
7. भवन के मानचित्र के अनुसार नाले/ड्रेनेज सिस्टम का कार्य पूर्ण किया, जाय तथा पानी की उपलब्धता हेतु ट्यूबैल निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्मित किया जाना आवश्यक है जिससे पीने योग्य पानी एवं शौचालय में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का विधिवत संयोजन किया जाये।
8. विभागीय गठित निर्माण समिति जिसमें तकनीकि विशेषज्ञ भी है के द्वारा समय–समय पर भवन के स्थलीय निरीक्षण/भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में अवगत करायी गयी, कमियों का कार्यदायी संस्था निराकरण करेगी तथा MOU की शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य/सामग्री की गुणवत्ता का ध्यान रखेगी।
9. नव निर्मित भवन के भूतल की खिडकियों में वार्तानुसार कांच के फ्रेम एवं अन्य सुरक्षा की दृष्टि से लोहे की ग्रिल लगायी जाये जिससे कक्षों में स्थापित कीमती सामाग्री सुरक्षित रह सके।

अतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं स्वीकृत अवशेष धनराशि रूपये 35.99 लाख व्ययगत (लेप्स) न हो कार्यदायी संस्था को उक्त शर्तो एवं बैठक में हुई सहमति के मध्यनजर भुगतान पर निर्णय लिया गया।

अन्त में सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक सम्पन्न हुई ।

(आर.के.कुँवर) 03.2021
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पृ0सं0: लेखा–स्था0/17982-85 /भवन निर्माण/2020–21 तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित :–

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. परियोजना प्रबंधक, पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम,उत्तराखण्ड।
4. कार्यालय प्रति।

निदेशक 3.2021
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

भौतिक सत्यापन आख्या

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के आदेश संख्या/लेखा–स्था0/618/भवन निर्माण/2020–21 दिनांक 09 मार्च, 2021 के अनुपालन में दिनांक 18.03.2021 को समिति के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा के निर्माणाधीन भवन का भौतिक सत्यापन किया गया। निदेशालय भवन का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून द्वारा किया जा रहा है। भवन की अद्यतन प्रगति आख्या निम्नवत् है–

- भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। रंगरोगन, रैलिंग का कार्य गतिमान है, गत प्रगति के अतिरिक्त कार्य परिलक्षित नहीं है।
- भवन के तीनों तलों पर स्लाइडिंग कांच की खिड़कियां निर्मित की गयी हैं। गत आख्या के अनुसार भूतल की खिड़कियों पर ग्रिल लगाये जाने हेतु अवगत कराया गया था, जो अद्यतन नहीं लगाया गया है।
- भवन की छत के ऊपर कई जगहों पर दरारों का ट्रीटमैंट कार्य नई तकनीकी से किया गया है। नई तकनीकी की जानकारी समिति को नहीं है।
- गत आख्यानुसार भवन के डिजाइन के अनुसार नाले का निर्माण किया जाना था, जो कि अभी तक नहीं किया गया है।
- अधिकारियों के कक्षा–कक्षों एवं बैठक कक्ष पर सीलिंग का कार्य गतिमान है।
- रैलिंग की फिनिशिंग नहीं की गयी है एवं कार पार्किंग के निर्माण का कार्य गतिमान है।
- गत आख्यानुसार भवन के पीछे वर्तमान में जो नाला प्रवाहित हो रहा है। नाले में 08 स्थानों पर गडढ़े हो गये हैं, जो नाले की दीवार को क्षति पहुंचा रहे हैं। अद्यतन उन गडढों की मरम्मत नहीं की गयी है। इसी तरह पुलिया के नीचे भी गढ्ढे हो गये हैं। अतः इन गडढों की मरम्मत की जानी अति आवश्यक है, जो अद्यतन नहीं किया गया है।
- छत का दरवाजा अद्यतन नहीं बनाया गया है साथ ही भवन के मध्य खुली छत पर पारदर्शी प्लास्टिक शीट लगायी गयी है। जिसके 02 साइड जाली लगायी गयी है किन्तु शेष 02 साइड में जाली लगायी जानी उचित होगी। लिफ्ट का कार्य गतिमान है।
- चूंकि निर्माण कार्य की लागत रू0 10.00 करोड़ से अधिक है अतः निर्माण का तृतीय पक्ष–नियोजन विभाग उत्तराखण्ड से करवाया जाना उचित होगा।

उक्त आदेश संख्या में समिति को निर्देशित किया गया है कि जो कमियां पायी गयी हैं, उससे कार्यदायी संस्था को समिति लिखित रूप में अवगत करायेगी, के सम्बन्ध में समिति का मन्तव्य है कि समिति अपनी आख्या पूर्व की भांति निदेशालय को ही अवगत करायेगी व निदेशालय के माध्यम से ही कार्यदायी संस्था को अवगत किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार समिति का सुझाव है कि नव–निर्मित भवन की साज–सज्जा हेतु सामग्री क्रय जो कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना है, की गुणवत्ता के लिये समिति के साथ–साथ लेखा स्थापना अनुभाग जो पूर्व मे भी सामग्री क्रय करता आया है, को भी शामिल किया जाना उचित होगा।

18/3/2021
(मेहरबान सिंह बिष्ट)
उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

18/3
(आर0पी0 डंडरियाल)
उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

(शिव मोहन सिंह रावत)
अधिशासी अभियन्ता
समग्र शिक्षा

18/3/2021
(राजेन्द्र सिंह पुण्डीर)
वित्त अधिकारी
शिक्षा निदेशालय

श्री कार्की / मु० प्रशा० अधि० लेखा
कृ० आवश्यक कार्यवाही करें।
17.02.2021
JD

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/5क(02)/14743-47/08/2020–21 दिनांक 17 फरवरी, 2021

विषयः– प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 69/XXIV-A-2/2020-03/2012टी0सी0 दिनांक 03.02.2021 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2020–21 में प्राविधानित धनराशि रू0 4,00,00 हजार (रूपये चार करोड़ मात्र) के सापेक्ष **रू0 3599 हजार (रूपये पैंतीस लाख निन्यानब्बे हजार मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार **रू0 3599 हजार (रूपये पैंतीस लाख निन्यानब्बे हजार मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 292/9(150)–2019/XXVII(1)/2020 दिनांक 31.03.2020 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। शासकीय व्यय हेतु **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017**, वितीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 का कड़ाई से पालन किया जाना है।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है, जिसकी अलाटमेंट आई0डी0 संलग्न की जा रहीं हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 पूंजीगत के अधीन लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 201–प्रारम्भिक शिक्षा, 05–प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण, 00–प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण के अधीन संलग्नक में उल्लिखित मानक मद 53–वृहत निर्माण।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ /5क(02)/13/2020–21/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।

(मोहम्मद गुलफाम अहमद)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सं0 69 /XXIV-A-2 /2020-03/2012 टी0सी0

प्रेषक,

आर. मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग –2 **देहरादूनः दिनांकः** 03 जनवरी,2021

विषयः प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के निर्माणाधीन भवन हेतु धनराशि अवमुत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–10219/2020–21 दिनांक 18 नवम्बर,2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के निर्माणाधीन भवन हेतु शासनादेश संख्या–1106//XXIV(1)/2016–03/2012 टी0सी0 दिनांक 22 नवम्बर,2016 द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 1025.99 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशो से अवमुक्त धनराशि रू0 990.00 लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 35.99 लाख (रू0 पैतीस लाख निन्यानवे हजार मात्र) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–22/09(150) 2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 07 जनवरी, 2021 में उल्लिखित प्राविधानुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किए जाय।

(2) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(3) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(4) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति कम आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(7) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधित) 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(8) कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तथा समयबद्ध रूप से भवन को पूर्ण करते हुए विभाग को हस्तगत किया जाना सुनिश्चित करें।

(9) विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांकः लेखा–स्था0 / 17697 /2020–21 दिनांक 19 मार्च, 2021

विषय– प्रा0शि0निदेशालय के नवनिर्मित भवन के नाले हेतु निर्माण इकाई द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन का प्रेषण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 195/ XXIV-A-2/2021-03/2012 टी0सी0 दिनांक 18 मार्च, 2021 के द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन मूल रूप में तथा निमार्ण समिति की निरीक्षण आख्या की प्रति संलग्न कर प्रेषित करने एवं पनुरीक्षित प्राक्कलन की लागत रू0 148.38 लाख स्वीकृति के औचित्य स्पष्ट करने के निर्देश हैं।

उक्त के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया पुनरीक्षित प्राक्कलन मूल रूप में तथा निमार्ण समिति की निरीक्षण आख्या की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही पुनरीक्षित प्राक्कलन की लागत रू0 148.38 लाख स्वीकृति के औचित्य के संबंध में अवगत कराना है कि सचिव, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 21 जनवरी 2021 को सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्याः 02 में निर्देश है कि कार्यदायी संस्था द्वारा चाहर दीवारी एवं नाले को अन्तिम छोर तक निर्मित करने हेतु नवीन प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना होगा। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय की भवन निमार्ण समिति द्वारा अपनी आख्या के अन्तिम बिन्दु में थर्ड पार्टी मूल्यांकन के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। जबकि शासन के पत्र संख्या : 146/ XXIV-A-2/03-2021/2012 टी0सी0–1 दिनांक 26 फरवरी, 2021 में स्पष्ट उल्लेख है कि चूंकि भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है अतएव थर्ड पार्टी मूल्यांकन का कोई लाभ नहीं है।

अतः प्राक्कलन एवं निमार्ण समिति की निरीक्षण आख्या की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

(आर0के0कुंवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

1392
2-2-21

संख्या– 146 /XXIV–A-2 / 03–2021 / 2012 टी0सी0–1

प्रेषक,

प्रदीप जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून : दिनाँक : 26 फरवरी,2021

विषयः– प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के निर्माणधीन भवन की प्रगति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक – लेखा–स्था0 / 11141 / 2020–21 दिनांक 05 दिसम्बर,2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय , उत्तराखण्ड देहरादून के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण हेतु तृतीय निरीक्षण प्राधिकारी (थर्ड पार्टी इन्सपैक्शन) नियुक्त किये जाने का अनुरोध शासन से किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियोजन विभाग के परामर्शानुसार भवन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति 100 प्रतिशत है। इस प्रकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। तृतीय निरीक्षण प्राधिकारी (थर्ड पार्टी इन्सपैक्शन) हेतु प्रारम्भ से संस्था को नामित किया जाना चाहिए था। पूर्ण निर्माण के उपरांत तृतीय निरीक्षण प्राधिकारी (थर्ड पार्टी इन्सपैक्शन) का कोई लाभ नही है। तद्नुसार अवगत होना चाहें।

भवदीय,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांकः लेखा–स्था0/ 16706 /2020–21 दिनांक 05 मार्च, 2021

विषय– प्रा0शि0निदेशालय के नवनिर्मित भवन के नाले हेतु निर्माण इकाई द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन का प्रेषण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 21 जनवरी 2021 को सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के क्रम में महाप्रबन्धक(गढ़0), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के पत्रांकः 947/टी0ए0सी0(गढ़0)देहरादून/16 दिनांक 27.02.2021 द्वारा जनपद– देहरादून के अर्न्तगत CONSTRUCTION OF COVERED STORM WATER DRAIN AT PRIMARY EDUCATION DIRCTORATE CAMPUS NANOORKHERA, DEHRADUN के निर्माण कार्य हेतु विस्तृत प्राक्कलन लागत रू. 150.06 लाख के तकनीकी परीक्षण उपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू. 148.38 लाख का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु निदेशालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त आगणन को मूल रूप में प्रेषित करते हुए शासन से अनुरोध है कि कृपया पुनरीक्षित आगणन की धनराशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न - यथोपरि

3-2021

(आर0के0कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांकः लेखा–स्था0/ 16706 /2020–21 दिनांक 05 मार्च, 2021

विषय– **प्रा0शि0निदेशालय के नवनिर्मित भवन के नाले हेतु निर्माण इकाई द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन का प्रेषण ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 21 जनवरी 2021 को सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के क्रम में महाप्रबन्धक(गढ़0), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के पत्रांकः 947/टी0ए0सी0(गढ़0)देहरादून/16 दिनांक 27.02.2021 द्वारा जनपद– देहरादून के अर्न्तगत CONSTRUCTION OF COVERED STORM WATER DRAIN AT PRIMARY EDUCATION DIRCTORATE CAMPUS NANOORKHERA, DEHRADUN के निर्माण कार्य हेतु विस्तृत प्राक्कलन लागत रू. 150.06 लाख के तकनीकी परीक्षण उपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू. 148.38 लाख का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु निदेशालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त आगणन को मूल रूप में प्रेषित करते हुए शासन से अनुरोध है कि कृपया पुनरीक्षित आगणन की धनराशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि

3-2021

(आर0के0कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा–स्था0/ 618 /भवन निर्माण/2020–21 दिनांकः 09 मार्च, 2021

1. श्री मेहरवान सिंह विष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद डंडरियाल, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
3. श्री राजेन्द्र सिंह पुण्डीर, वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,उत्तराखण्ड।
4. श्री शिव मोहन सिंह रावत, अधिशासी अभियन्ता, समग्र शिक्षा अभियान,उत्तराखण्ड।

विषयः– प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि रू0 4,00,00,000 (रूपये चार करोड मात्र) के सापेक्ष रूपये 3,60,00,000 (रूपये तीन करोड साठ हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं स्वीकृत धनराशि लेप्स न होने की दशा में कार्यदायी संस्था पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम को खाते के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी है।

समिति द्वारा दिनांक 23.02.2021 को उपलब्ध कराई गयी भौतिक सत्यापन आख्या के अवलोकन करने पर कतिपय कमियां इंगित की गयी है, का निराकरण हुआ है अथवा नहीं के सम्बन्ध में समिति द्वारा कार्यदायी संस्था को लिखित में अवगत कराया जाय।

अतः समिति निरन्तर निर्माण कार्य की गुणवत्ता को मध्यनजर रखते हुए यदि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कमी संज्ञान में आती है, को ठीक कराने एवं कार्य की प्रगति के लिए कार्यदायी संस्था को अवगत करायेगी तथा समय–समय पर कार्य की प्रगति से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेगी, ध्यान रहे कि शासन के निर्देशों एवं MOU की शर्तो की अवहेलना न हो, का कार्यदायी संस्था अनुपालन करें व भवन के डिजायन के अनुसार नाले के कार्य के सम्बन्ध में भी कार्यदायी संस्था से विचार–विमर्श करे। निर्माण कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता युक्त हो के सम्बन्ध में निर्माण समिति का व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। नवनिर्मित भवन की साज सज्जा हेतु सामग्री (यथा– फर्नीचर, लिफ्ट इत्यादि) अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत क्रय किये जाने हेतु उक्त समिति नामित की जाती है।

भवदीय

(आर.के.कुंवर) 2021

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0सं0: लेखा–स्था0/ 16992 /भवन निर्माण/2020–21 तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित :–

1. परियोजना प्रबंधक,उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम,उत्तराखण्ड।

(आर.के.कुंवर) 3-2021

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन
विकास एवं निर्माण निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक/लेखा स्था0/ 17166-68 /भवन निर्माण/2020-21/दिनांक 10 मार्च, 2021

विषयः- <u>प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के निर्माणाधीन भवन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1106/XXIV/(1) 2016/03/2012 टी0सी0 दिनांक 22.11.2016 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित/स्वीकृत धनराशि रू0 1025.99 लाख के सापेक्ष रू0 990.00 लाख निर्माण कार्य हेतु आपको ऑनलाईन खाते के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। आपने अपने पत्र संख्या/284/शिक्षा विभाग/13 दिनांक 15.02.2021 के द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति 85 प्रतिशत प्रदर्शित की गयी है जबकि निर्माण कार्य की शत-प्रतिशत धनराशि आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना है तथा 31 मार्च, 2021 तक भवन विभाग को अधिग्रहण कराया जाना है।

कृपया निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करते हुए शासन एवं M.O.U.की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त व डिजायन के अनुरूप किया जाना होगा, यदि निर्माण कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की कमी संज्ञान में आने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। विभाग द्वारा निर्माण कार्य के भौतिक सत्यापन हेतु चार अधिकारियों की एक समिति गठित की गयी है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी है, समिति द्वारा निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन एवं कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में समय-समय पर अवगत करायी गयी कमियों का संज्ञान लेते हुए उसका कार्यदायी संस्था द्वारा निराकरण किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत लिफ्ट एवं साज-सज्जा, फर्नीचर क्रय से पूर्व सामग्री की गुणवत्ता हेतु विभागीय अधिकारियों को सैम्पल का अवलोकन कराना एवं उक्त सामग्री का क्रय अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधित 2017) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विभाग द्वारा बनाई गयी निर्माण समिति को अधिप्राप्ति के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री में भी नामित किया गया है।

अतः प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण कार्य को शासन द्वारा निर्देशित शर्तों, M.O.U. का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही डिजायन के अनुसार भवन के सम्मुख नाला बनाया जाना है, का कार्य भी यथा शासन/विभाग द्वारा विगत बैठकों में दिये गये निर्देशानुसार किया जाय।

..... 02

मु० प्रशा० अधि० लेखा / श्री कार्की
कृ० आवश्यक कार्यवाही करें।
29.12.2020
JD

1040
28-12-20

सं० 605 /XXIV-A-2/2020–03/2012 टी०सी०

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

लेखा स्थापना
कृ० शासन के दिये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
28.12.2020

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग –2 देहरादूनः दिनांकः 22 दिसम्बर ,2020

विषयः प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के निर्माणाधीन भवन हेतु धनराशि अवमुत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–10219/2020–21 दिनांक 18 नवम्बर,2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के निर्माणाधीन भवन हेतु शासनादेश संख्या–1106//XXIV(1)/2016–03/2012 टी0सी0 दिनांक 22 नवम्बर,2016 द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 1025.99 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशो से अवमुक्त धनराशि रू0 730.00 लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 295.99 लाख के सापेक्ष अनदुान संख्या–11 के अन्तर्गत मानक मद 53–वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) में से वित्त विभाग के शासनादेश 1042/09(150) 2019/XXVII(1)/2020 दिनांक 07 दिसम्बर,2020 में उल्लिखित प्राविधानुसार रू0 260.00 लाख (रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किए जाय।

(2) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(3) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(4) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति कम आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(7) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधित) 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/5क(02)/12493-99 /08/2020–21 दिनांक 15 जनवरी, 2021

विषयः– प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 605/XXIV-A-2/2020-03/2012टी0सी0 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2020–21 में प्राविधानित धनराशि रू0 4,00,00 हजार (रूपये चार करोड़ मात्र) के सापेक्ष **रू0 2,60,00 हजार (रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार **रू0 2,60,00 हजार (रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 292/9(150)–2019/XXVII(1)/2020 दिनांक 31.03.2020 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। शासकीय व्यय हेतु **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017**, वितीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 का कड़ाई से पालन किया जाना है।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है, जिसकी अलाटमेंट आई0डी0 संलग्न की जा रहीं हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 पूंजीगत के अधीन लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 201–प्रारम्भिक शिक्षा, 05–प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण, 00–प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण के अधीन संलग्नक में उल्लिखित मानक मद 53–वृहत निर्माण।

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(विकम सिंह जन्तवाल)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/5क(02)/ ← /08/2020–21 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
6– कार्यालय गार्ड फाइल।

(विकम सिंह जन्तवाल)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,

ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

सचिव,

विद्यालयी शिक्षा,

उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांकः लेखा–स्था0/ 10219 /2020–21 दिनांक 18 नवम्बर, 2020

विषय– **प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के निर्माणाधीन भवन हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड के भवन निमार्ण कार्य हेतु शासनादेश सं0 1106/XXiv(1)/2016-03/2012/टी0सी0 दिनांक 22.11.2016 द्वारा **रू0 1025.99 लाख** की धनराशि अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष कुल **रू0 730.00 लाख(रूपये सात करोड़ तीस लाख मात्र)** शासन द्वारा स्वीकृत किये जा चुके है। स्वीकृत धनराशि आहरित कर निर्धारित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को अवमुक्त की जा चुकी है। परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के पत्रांक 1439/उपयोगिता प्रमाण पत्र/39 दिनांकर 23–09–2020 के द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण–पत्र (संलग्न) के अनुसार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति अद्यतन 100 प्रतिशंत है किन्तु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत है।

शासनादेश संख्या 238/XXiv-A-2/ 2020-03/2012 टी0सी0 दिनांक 22.07.2020 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राविधानित धनराशि **रू0 400.00 लाख (चार करोड़ मात्र)** में से **रू0 100.00 लाख(एक करोड़)** शासन द्वारा अवमुक्त किये गये हैं। जिसे निर्माण इकाई को भुगतान किया जा चुका है।

अतः चालू निर्माण कार्य के उपभोग प्रमाण–पत्र एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रेषित करते हुए शासन से अनुरोध है कि अवशेष धनराशि **रू0 300.00 लाख(तीन करोड़ मात्र)** अवमुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

18.11.2020

(आर0के0कुँवर)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

कार्यालय– निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश सं0/लेखा–स्था0/ 524 /भवन निर्माण/2020–21 दिनांक 02 फरवरी, 2021

1. श्री मेहरबान सिंह बिष्ट, उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।
2. श्री आर0पी0डंडरियाल, उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।
3. श्री राजेन्द्र सिंह पुण्डीर, वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4. श्री शिव मोहन सिंह रावत, अधिशासी अभियन्ता, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।

विषय– प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा देहरादून के भवन निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के आदेश संख्या/339/लेखा–स्था0/भवन निर्माण/2020–21 दिनांकर 29 अक्टूबर, 2020 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण कार्य की प्रगति/समीक्षा हेतु गठित 03 सदस्यीय समिति में आप सम्मानित सदस्य हैं। शासन द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2020–21 में प्राविधानित धनराशि रू0 4,00,00 हजार(रूपये चार करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 1,00,00 हजार(रूपये एक करोड़ मात्र) पूर्व में तथा अब रू0 2,60,00 हजार(रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त धनराशि रू0 2,60,00 हजार(रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र)को कार्यदायी संस्था को हस्तांरित किया जाना है।

समिति द्वारा दिनांक 05–12–2020 को भौतिक सत्यापन आख्या में भवन निर्माण में कतिपय कमियों को दूर किये जाने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था।

अतः समिति प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के निर्माणाधीन भवन का भौतिक सत्यापन कर आख्या एक सप्ताह के भीतर निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे **(यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि दिनांक 05–12–2020 की भौतिक सत्यापन आख्या में उल्लिखित कमियों को दूर कर दिया गया है)**। ताकि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तांतरित की जा सके।

भवदीय

(वी0एस0रावत)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय देहरादून।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

परियोजना प्रबंधक,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः लेखा0–स्था0/15008-09/भवन निर्माण/2020–21/दिनांक 20 फरवरी 2021

विषयः– **प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के निर्माणाधीन भवन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 21 जनवरी 2021 को निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा के निर्माणाधीन भवन की प्रगति समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अनुसार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय देहरादून के निर्माणाधीन भवन हेतु शासनादेश संख्या–1106 दिनांक 22 नवंबर, 2016 द्वारा रू0 1025.99 लाख की धनराशि अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष विभिन्न शासनादेशो से अभी तक रू0 990.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है एवं अवशेष धनराशि रू0 35.99 लाख को अवमुक्त किये जाने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त बैठक में आपकी संस्था द्वारा सचिव, शिक्षा को अब तक निदेशालय के निर्माणाधीन भवन की प्रगति के बारे में दिये गये प्रजेन्टेशन के समय ड्रेनेज की समस्या का निराकरण किस प्रकार किया जाय के संबंध में सचिव महोदय द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देश दिये गये कि महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा के स्तर से जिलाधिकारी, देहरादून को एक पत्र लिखा जाय कि उनके द्वारा नामित कोई प्रशासनिक अधिकारी, विभागीय अधिकारियों, कार्यदायी संस्था एवं आस–पास रहने वाले लोगो के साथ समन्वय स्थापित करते हुए तद्नुसार निकासी के निराकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगे। तद्क्रम में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः 4834 दिनांकः 29 जनवरी, 2021 के द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। बैठक में यह भी निर्देश दियें गये कि इसके निराकरण हेतु नये प्राक्कलन तैयार करने की आवश्यकता हो तो, कार्यदायी संस्था प्राक्कलन तैयार करके निदेशक के माध्यम से स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही सचिव महोदय द्वारा अपेक्षा की गई है कि मार्च, 2021 तक निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाय, जिससे कि मार्च, 2021 में ही उक्त निदेशालय भवन का उद्घाटन किया जा सके।

अतः उक्त के कम में ड्रेनेज समस्या के निस्तारण हेतु तत्काल नया प्राक्कलन तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय

(आर॰के॰कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा–स्था0/15008-09 /भवन निर्माण/2020–21 तद्दिनांकित्।

1. प्रतिलिपिः सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर॰के॰कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

3070
19/02/21

श्री जोशी / मु० प्रशा० अधि०-लेखा
कृ० आ० कार्यवाही को

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय देहरादून के निर्माणाधीन भवन की प्रगति समीक्षा की दिनांक 21 जनवरी,2021 को सचिव, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1— श्री प्रदीप डिमरी, अनुभाग अधिकारी, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड़ शासन।
2— श्री अनिल कुमार थपलियाल, समीक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02।
3— सुश्री पिंकी, समीक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2।
4— श्री आर0 के0 कुँवर, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
5— श्री बी0एस0 रावत, अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
6— श्री सुभाष भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
7— श्री चन्दन सिंह रजवार, महाप्रबन्धक, गढवाल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
8— श्री गिरीश चन्द्र, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम, देहरादून।

निदेशालय शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा के निर्माणाधीन भवन की प्रगति समीक्षा बैठक में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून द्वारा बताया कि प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय देहरादून के निर्माणाधीन भवन हेतु शासनादेश संख्या– 1106 दिनांक 22 नवम्बर,2016 द्वारा रू0 1025.99 लाख की धनराशि अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष विभिन्न शासनादेशो से अभी तक रू0 990.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है एवं अवशेष धनराशि रू0 35.99 लाख अवमुक्त किया जाना अवशेष है, जिसे अवमुक्त किये जाने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक, गढवाल, उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम ने सचिव, शिक्षा को अब तक निदेशालय भवन के निर्माणाधीन की प्रगति के बारे में प्रजेन्टेशन दिया। प्रेजेन्टशन के समय ड्रेनेज की समस्या के निराकरण किस प्रकार किया जाय के संबंध में सचिव महोदय द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देश दिये गये कि महानिदेशक, शिक्षा के स्तर से जिलाधिकरी, देहरादून को एक पत्र लिखा जाय, जिसमें उनके द्वारा नामित कोई प्रशासनिक अधिकारी विभागीय अधिकारियों, कार्यदायी संस्था एवं आस–पास रहने वाले लोगो के साथ समन्वय स्थापित करते हुए तदनुसार निकासी के निराकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यदि इसके निराकरण हेतु नये प्राक्कलन तैयार करने की आवश्यकता हो तो, कार्यदायी संस्था प्राक्कलन तैयार करके निदेशक के माध्यम से स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर सकते हैं। इस हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति के संबंध में अनुरोध किया जायेगा। साथ ही सचिव महोदय द्वारा अपेक्षा की है कि मार्च,2021 तक निर्माणाधीन भवन का निर्माण पूर्ण करा लिया जाय, जिससे कि मार्च,2021 में ही उक्त निदेशालय भवन का उद्घाटन किया जा सकें।

अन्त में सधन्यवाद करते हुए बैठक को संपन्न की गयी।

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय देहरादून के निर्माणाधीन भवन की प्रगति समीक्षा की दिनांक 21 जनवरी,2021 को सचिव, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1— श्री प्रदीप जिमरी, अनुभाग अधिकारी, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
2— श्री अनिल कुमार धमलियाल, समीक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02।
3— सुश्री पिंकी, समीक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2।
4— श्री आर0 के0 कुँवर, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
5— श्री बी0एस0 सजवाण, अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
6— श्री सुभाष भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
7— श्री चन्दन सिंह रजवार, महाप्रबन्धक, गढवाल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
8— श्री गिरीश चन्द्र, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

निदेशालय शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा के निर्माणाधीन भवन की प्रगति समीक्षा बैठक में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून द्वारा बताया कि प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय देहरादून के निर्माणाधीन भवन हेतु शासनादेश संख्या– 1106 दिनांक 22 नवम्बर,2016 द्वारा रू0 1025.99 लाख की धनराशि अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष विभिन्न शासनादेशो से अभी तक रू0 990.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है एवं अवशेष धनराशि रू0 35.99 लाख अवमुक्त किया जाना अवशेष है, जिसे अवमुक्त किये जाने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक, गढवाल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम ने सचिव, शिक्षा को अब तक निदेशालय भवन के निर्माणाधीन की प्रगति के बारे में प्रजेन्टेशन दिया। प्रेजेन्टशन के समय ड्रेनेज की समस्या के निराकरण किस प्रकार किया जाय के संबंध में सचिव महोदय द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देश दिये गये कि महानिदेशक, शिक्षा के स्तर से जिलाधिकारी, देहरादून को एक पत्र लिखा जाय, जिसमें उनके द्वारा नामित कोई प्रशासनिक अधिकारी विभागीय अधिकारियों, कार्यदायी संस्था एवं आस–पास रहने वाले लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए तदनुसार नेकासी के निराकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यदि इसके निराकरण हेतु नये ाक्कलन तैयार करने की आवश्यकता हो तो, कार्यदायी संस्था प्राक्कलन तैयार करके निदेशक े माध्यम से स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर सकते हैं। इस हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति े संबंध में अनुरोध किया जायेगा। साथ ही सचिव महोदय द्वारा अपेक्षा की है कि मार्च,2021 क निर्माणाधीन भवन का निर्माण पूर्ण करा लिया जाय, जिससे कि मार्च,2021 में ही उक्त ादेशालय भवन का उद्घाटन किया जा सकें।

अन्त में सधन्यवाद करते हुए बैठक को संपन्न की गयी।

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

Scanned with CamScanner

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय देहरादून के निर्माणाधीन भवन की प्रगति समीक्षा की दिनांक 21 जनवरी,2021 को सचिव, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1— श्री प्रदीप डिमरी, अनुभाग अधिकारी, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
2— श्री अनिल कुमार थपलियाल, समीक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अनुभाग—02।
3— सुश्री पिकीं, समीक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2।
4— श्री आर0 के0 कुँवर, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
5— श्री बी0एस0 रावत, अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
6— श्री सुभाष भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
7— श्री चन्दन सिंह रजवार, महाप्रबन्धक, गढवाल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
8— श्री गिरीश चन्द्र, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम, देहरादून।

निदेशालय शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा के निर्माणाधीन भवन की प्रगति समीक्षा बैठक में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून द्वारा बताया कि प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय देहरादून के निर्माणाधीन भवन हेतु शासनादेश संख्या— 1106 दिनांक 22 नवम्बर,2016 द्वारा रू0 1025.99 लाख की धनराशि अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष विभिन्न शासनादेशो से अभी तक रू0 990.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है एवं अवशेष धनराशि रू0 35.99 लाख अवमुक्त किया जाना अवशेष है, जिसे अवमुक्त किये जाने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक, गढवाल, उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम ने सचिव, शिक्षा को अब तक निदेशालय भवन के निर्माणाधीन की प्रगति के बारे में प्रजेन्टेशन दिया। प्रेजेन्टशन के समय ड्रेनेज की समस्या के निराकरण किस प्रकार किया जाय के संबंध में सचिव महोदय द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देश दिये गये कि महानिदेशक, शिक्षा के स्तर से जिलाधिकरी, देहरादून को एक पत्र लिखा जाय, जिसमें उनके द्वारा नामित कोई प्रशासनिक अधिकारी विभागीय अधिकारियों, कार्यदायी संस्था एवं आस—पास रहने वाले लोगो के साथ समन्वय स्थापित करते हुए तदनुसार निकासी के निराकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यदि इसके निराकरण हेतु नये प्राक्कलन तैयार करने की आवश्यकता हो तो, कार्यदायी संस्था प्राक्कलन तैयार करके निदेशक के माध्यम से स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर सकते हैं। इस हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति के संबंध में अनुरोध किया जायेगा। साथ ही सचिव महोदय द्वारा अपेक्षा की है कि मार्च,2021 तक निर्माणाधीन भवन का निर्माण पूर्ण करा लिया जाय, जिससे कि मार्च,2021 में ही उक्त निदेशालय भवन का उद्घाटन किया जा सकें।

अन्त में सधन्यवाद करते हुए बैठक को संपन्न की गयी।

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

कार्यालय– निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश सं0/लेखा–स्था0/ 524 /भवन निर्माण/2020–21 दिनांक 02 फरवरी, 2021

1. श्री मेहरबान सिंह बिष्ट, उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।
2. श्री आर0पी0डंडरियाल, उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।
3. श्री राजेन्द्र सिंह पुण्डीर, वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

विषय– प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा देहरादून के भवन निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के आदेश संख्या/339/लेखा–स्था0/भवन निर्माण/2020–21 दिनांकर 29 अक्टूबर, 2020 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण कार्य की प्रगति/समीक्षा हेतु गठित 03 सदस्यीय समिति में आप सम्मानित सदस्य हैं। शासन द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2020–21 में प्राविधानित धनराशि रू0 4,00,00 हजार(रूपये चार करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 1,00,00 हजार(रूपये एक करोड़ मात्र) पूर्व में तथा अब रू0 2,60,00 हजार(रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त धनराशि रू0 2,60,00 हजार(रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र)को कार्यदायी संस्था को हस्तांरित किया जाना है।

समिति द्वारा दिनांक 05–12–2020 को भौतिक सत्यापन आख्या में भवन निर्माण में कतिपय कमियों को दूर किये जाने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था।

अतः समिति प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के निर्माणाधीन भवन का भौतिक सत्यापन कर आख्या एक सप्ताह के भीतर निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे **(यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि दिनांक 05–12–2020 की भौतिक सत्यापन आख्या में उल्लिखित कमियों को दूर कर दिया गया है)**। ताकि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तांतरित की जा सके।

भवदीय

(वी0एस0रावत)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय देहरादून।

[illegible]क विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा–स्था0 / 185 /भवन निर्माण / 2020–21 दिनांक: 21 जनवरी, 2021

कार्यवृत्त

आज दिनांक 21 जनवरी 2021 को सचिव, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के निर्माणाधीन भवन की प्रगति के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी। जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों / कार्मिको द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।

1. श्री आर॰ के॰ कुँवर, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
2. श्री वी॰एस॰रावत, अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
3. श्री सुभाष चन्द्र भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. श्री मेहरवान सिंह विष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. श्री सी॰एस॰ रजवार,परियोजना प्रबंधक,उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड।
6. श्री प्रदीप डिमरी, अनुभाग अधिकारी, शिक्षा अनुभाग–2(बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री अनिल थपलियाल, समीक्षा अधिकारी, शिक्षा अनुभाग–2(बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
8. सुश्री पिंकी, समीक्षा अधिकारी, शिक्षा अनुभाग–2(बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री कैलाश चन्द्र पन्त, सहायक अभियन्ता, पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम,उत्तराखण्ड।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गये:–

1– प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के नवनिर्मित भवन के सामने आगणन के अनुसार नाले को निर्मित करते हुए उसको ऊपर से बन्द कर दिया जाय।

2– निदेशालय भवन के पूर्व आगणन में भवन के सामने चाहर दीवारी न होने के कारण परिसर की सुरक्षा एवं निदेशालय भवन के सम्मुख भवन स्वामियों के भवन की सुरक्षा के दृष्टिगत चार दीवारी तथा नाले को अन्तिम भवन स्वामी के मकान तक बनाये जाने पर निर्णय लिया गया। इस हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा चाहर दीवारी एवं नाले को अन्तिम छोर तक निर्मित करने हेतु नवीन प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना होगा।

3– नवीन नाले का निर्माण करते समय स्थानीय जनता का सहयोग लिया जाय एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से वार्ता की जाये जिससे नाला निर्माण में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

4– सचिव, विद्यालयी शिक्षा की ओर से जिलाधिकारी, देहरादून को एक अर्द्धशासकीय पत्र लिखा जाय कि वे नाले के निर्माण में उत्पन्न विवाद के समाधान हेतु स्थानीय एस0डी0एम0 को निर्देशित करें ताकि नाले के निर्माण को निर्विवाद किया जा सके।

5– नवनिर्मित भवन की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु तृतीय पक्ष (Third party) के मूल्यांकन के लिए शासन के नियोजन विभाग से सम्पर्क किया जाय।

6– प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के नवनिर्मित भवन में फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के विहित प्राविधानानुसार एक समिति गठित कर ली जाय।

(आर॰मीनाक्षी सुन्दरम)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृ0सं0: लेखा–स्था0 / 4831-33 /भवन निर्माण / 2020–21 तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. परियोजना प्रबंधक, पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम,उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय प्रति।

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा–स्था0/ 478 /भवन निर्माण/2020–21 दिनांकः 09 जनवरी, 2020

कार्यवृत्त

आज दिनांक 28 दिसम्बर 2020 को प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के निर्माणाधीन भवन का निम्न अधिकारियों, कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक, अधिशासी अभियंता एवं अवर अभियंता की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया।

1. श्री आर॰ के॰ कुँवर, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
2. श्री वी॰एस॰रावत, अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
3. श्री अम्बादत्त बलोदी, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. श्री सुभाष चन्द्र भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. श्री गजेन्द्र सौन, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. श्री मेहरवान सिंह विष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. श्री नरवीर सिंह विष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
8. डॉ॰ रश्मि बडोनी, स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9. श्री विनोद कुमार स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10. श्री सी॰एस॰ रजवार, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड।
11. श्री एस0पी0गैरोला जी, अवर अभियन्ता, कार्यदायी संस्था, प्रबन्धक निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड।
12. श्री शिव मोहन सिंह रावत, अधिशासी अभियन्ता, समग्र शिक्षा अभियान,उत्तराखण्ड।
13. श्री बिशन कुमांई ,सहायक लेखाधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
14. श्री मदन प्रसाद सती, सहायक लेखाधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

स्थलीय निरीक्षण में विभागीय भवन निर्माण समिति द्वारा पूर्व में किये गये भौतिक निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यो में पायी गयी कतिपय कमियों के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक/अवर अभियंताओं को अवगत कराया गया। साथ ही सहमति बनी कि भवन आगणन के अनुसार नाले का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है जिससे निदेशालय भवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे, यह भी विचार विमर्श किया गया कि नाले से सटे हुए भवन स्वामियों को किसी भी प्रकार की क्षति न हो, भवन निर्माण समिति द्वारा इंगित कतिपय बिन्दुओं पर जो भवन निर्माण में कमियाँ दृष्टिगत हुई है उनको पूर्ण करने हेतु निर्माण ईकाई द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गई है। तथा विश्वास दिया गया कि आगणन के अनुसार ही कार्य पूर्ण गुणवत्ता युक्त किया जायेगा।

सदस्य :

1.श्री मदन प्रसाद सती,
सहायक लेखाधिकारी,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

2. श्री बिशन कुमांई,
सहायक लेखाधिकारी,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

3. श्री शिव मोहन सिंह रावत
अधिशासी अभियंता,
समग्र शिक्षा अभियान,उत्तराखण्ड।

क्रमशः

4. श्री एस0पी0गैरोला,
अवर अभियंता
कार्यदायी संस्था

5. श्री विनोद कुमार
स्टाफ ऑफिसर,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

6. डा.रश्मि बडोनी
स्टाफ ऑफिसर,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

7. श्री गजेन्द्र सौन
उपनिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

8. श्री मेहरबान सिंह बिष्ट
उप निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

9. श्री नरवीर सिंह बिष्ट
उप निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

10. श्री अम्बादत्त बलोदी,
संयुक्त निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

11. श्री सुभाष चन्द्र भट
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

12. श्री सी0एस0रजवार,
परियोजना प्रबन्धक,
कार्यदायी संस्था।

13. श्री वी0एस0रावत
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

(आर.के.कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा–स्था0 / 448 /बैठक / 2020–21 दिनांकः 11 दिसम्बर, 2020

कार्यालय आदेश

निदेशालय के पत्र संख्या लेखा–स्थापना / 11138–40 / 2020–21 दिनांक 05 दिसम्बर 2020 के क्रम में कार्यालय परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई, देहरादून के पत्रांक 2028 / शिक्षां विभाग / 90 दिनांक 17 दिसम्बर 2020 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के निर्माणाधीन भवन के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गयी है आख्या की समीक्षा हेतु निदेशक महोदय द्वारा **दिनांक 26 दिसम्बर 2020 प्रातः 11 बजे** प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण समिति के सदस्यों की बैठक अयोजित की गयी है।

अतः निर्धारित तिथि को यथा समय बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

11.12.2020

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा–स्था0 / 11882-85 /बैठक / 2020–21 तद् दिनांकित्।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री मेहरबान सिंह विष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,उत्तराखण्ड।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद डंडरियाल, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,उत्तराखण्ड।
3. श्री राजेन्द्र सिंह पुण्डीर, वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. श्री शिव मोहन सिंह रावत, अधिशासी अभियन्ता, समग्र शिक्षा अभियान,उत्तराखण्ड।

11.12.2020

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांकः लेखा–स्था0/ 1114 /2020–21 दिनांक 05 दिसम्बर, 2020

विषय– **प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के निर्माणाधीन भवन की प्रगति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड के भवन निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं0 1106/xxiv(1)/2016-03/2012/टी0सी0 दिनांक 22.11.2016 द्वारा **रू0 1025.99 लाख** की धनराशि अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष कुल **रू0 730.00 लाख(रूपये सात करोड़ तीस लाख मात्र)** शासन द्वारा स्वीकृत किये जा चुके है। स्वीकृत धनराशि आहरित कर निर्धारित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को अवमुक्त की जा चुकी है। परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के पत्रांक 1439/उपयोगिता प्रमाण पत्र/39 दिनांकर 23–09–2020 के द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण–पत्र (संलग्न) के अनुसार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति अद्यतन 100 प्रतिशत है किन्तु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत है।

इस कार्यालय के पत्रांकः लेखा–स्था0/10219/2020–21 दिनांकः 18 नवम्बर, 2020 के द्वारा अवशेष धनराशि मांग का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। अवगत कराना है कि निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है। भवन निर्माण समिति द्वारा भौतिक सत्यापन आख्या प्रस्तुत कर दी गई है। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधानानुसार पांच करोड़ से अधिक के निर्माण कार्य का निरीक्षण हेतु तृतीय निरीक्षण प्राधिकारी (थर्ड पार्टी इन्सपैक्शन) नियुक्त किया जाना है।

उक्त बैठक हेतु कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक को भी आमंन्त्रित किया जाना उचित होगा। अतः भवन निर्माण की प्रगति की बैठक हेतु समय एवं तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

भवदीय

2.12.20

(आर0के0कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।